55

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-96/CFP/2 New Delhi, dated 4 -9-1996

The General Manager (P)
Northern Railway,
New Delhi.

Sub:- Regularisation of ad-hoc Tracers (Civil Engineering), Grade Rs.975-1540, as Junior Draftsman, scale Rs.1200-2040, Northern Railway.

Attention is invited to the correspondence resting with your letter No.752-E/30-V-3/EIIBI dated 26.12.95 on the above subject. The matter has been raised by AIRF in the PNM also vide Agenda Item No.45/96.

2. After careful consideration of the matter Board have decided that the services of the four ad-hoc Tracers viz. Shri Subhas Chander, Shri Prem Chand, Shri Ram Avtar Sharma and Shri Prabir Biswas may be regularised as Tracers with prospective effect subject to fulfilment of necessary conditions and completion of formalities applicable to such regularisation. However, the ad-hoc promotions as Asstt. Draftsman in the cases of Shri Ram Avtar Sharma and Shri Prabir Biswas should be immediately reversed. The Tracers, after regularisation, may progress to the category of Asstt. Draftsman only in accordance with the relevant extant instructions.

3. Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

NO.E(NG)I-96/CFP/2 New Delhi, dated 4 -9-1996

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR,3, Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).

for Secretary/Railway Board

Copy to: E(LR)-I (with 60 spares).

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) I-96/सी एफ पी/2 नई दिल्ली, दिनांक 4.9.96

महाप्रबंधक, (कार्मिक),
उत्तर रेल.
नई दिल्ली

विषय:- उत्तर रेलके तदर्थ ट्रेसरों (सिविल इंजीनियरी), ग्रेड 975-1540 रू, को कनिष्ठ ड्राफ्समैन, वेतनमान 1200-2040 रू. के रूप मे नियमित करना ।

उपर्युक्त विषय पर आपके 26.12.95 के पत्र सं. 752 -ई/30 वी. 3/ई II वी I के साथ रूके हुए पत्र व्यवहार की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद, बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि चार तदर्थ ट्रेसरों यथा श्री सुभाष चन्दर, श्री प्रेमचन्द, श्री राम अवतार शर्मा तथा श्री प्रबीर विस्वास की सेवाओं को भविष्यलक्षी प्रभाव से ट्रेसर के रूप में नियमित कर दिया जाए जो ऐसे नियमितिकरण के लिए लागू आवश्यक शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूरा करने पर निर्भर करेगा । बहरहाल, श्री राम अवतार शर्मा तक श्री प्रबीर विस्वास के मामले मे सहायक ड्राफ्टसमैन के रूप में तदर्थ पदोन्नतियों को तत्काल प्रतिवर्तित (रिवर्स) किया जाए । नियमितिकरण के बाद ट्रेसर संबंधित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार केवल सहायक ड्राफ्टसमैन की कोटि तक पहुँचा सकते हैं ।

3. कृपया पावती दें ।

(जे. एस. गोसाईं)
उप निदेशक, स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड.

...2..

सं. ई (एन जी) 1-96/सीएफ पी./2 नई दिल्ली, दिनांक 4.9.96

प्रतिलिपि, प्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, ए.आई.आर एफ, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली, (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

2. जनरल सेक्रेटरी एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियो सहित)

कृते अध्यक्ष
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि, ई (एल आर) 1 शाखा को (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित ।